

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ।

सेवा में.

- 1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
- 2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुरुग्राम (एन०सी०आर०)।
- 3. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
- 4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
- 5. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
- 6. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वारथ्य, हरियाणा राज्य ।
- कल्याण अधिकारी (महीला) फरीदाबाद व पानीपत।
- 8. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।

क्रमांकः स्था०/01/2017/ 17/04-17/89 दिनांकः **७९/७६/२०**१२

Subject:

Recruitment to the HCS (Executive Branch) from Register A-II of members of Group-C Service upto the vacancies of the year 2016.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 11571—11656 दिनांक 01.05.2017 व पत्र क्रमांक 14733—14813 दिनांक 19.05.2017 की निरन्तरता में।

विषय संबंध में आपको मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि आप अपने अधीनस्थ श्रेणी—ाा के कर्मचारियों को इस बारे अवगत करवायें और इच्छुक कर्मचारी जो अपना आवेदन भिजवाना चाहता है, उनके नाम मुख्यालय को नियमानुसार दिनांक 26.05.2017 सांय 05.00 बजे तक अग्रेषित करें। अब मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा विषय संबंध मामलें में विभाग द्वारा आवेदन भिजवाने बारे दिनांक 06.07.2017 निश्चित की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ श्रेणी—III के कर्मचारियों को इस बारे अवगत करवायें और इच्छुक कर्मचारी जो अपना आवेदन भिजवाना चाहता है, उनके नाम मुख्यालय को नियमानुसार दिनांक 30.06.2017 सांय 05.00 बजे तक अग्रेषित करें।



यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 30.06.2017 को सांय 05.00 बजे तक प्राप्त होने वाले नामों पर ही विचार किया जायेगा। इसके उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें फाईल कर दिया जाएगा।

> उप अधीक्षक (स्था०), श्रृहतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्टाकांन क्रमांकः स्था०/2017/17190-17205 दिनांकः ०९/०६/२०17

इसकी एक प्रति मुख्यालय पर कार्यरत सभी शाखा अधिकारियों को भेजकर अनुरोध है कि वह भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपरोक्त हिदायतों बारे सूचित करें और अगर कोई कर्मचारी इस बारे अपना आवदेन भेजना चाहता है तो दिनांक 30.06.2017 को सांय 05.00 बजे तक भिजवायें।।

उप अधीक्षक (स्था०), रि शृकृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा

DATE BOUND

No.41/2/2017-5SII GOVERNMENT OF HARYANA CHIEF SECRETARY'S OFFICE PERSONNEL DEPARTMENT

Dated, Chandigarh, the 07th June, 2017.

To

- 1. The Chief Secretary to Government, Haryana. (in Establishment I Branch)
- 2. The Additional Chief Secretary to Government, Haryana and Financial Commissioner, Revenue & Disaster Management, Haryana.
- All the Heads of Departments in Haryana.

Subject: - Recruitment to the HCS (Executive Branch) from Register A-II of members of Group 'C' Service upto the vacancies of the year 2016.

Śir/Madam,

I am directed to invite your attention to this department's letter of even number dated 12th April. 2017 and subsequent letter dated 9th May, 2017 on the subject noted above and to say that State Government has extended the last date for receipt of recommendation(s) by four weeks i.e. upto 06.07.2017. Recommendation(s) received after 06.07.2017 will not be entertained/considered. In case no recommendation is received till the aforesaid date, it would be presumed that you have no recommendation to make.

Yours faithfully,

Deputy Secretary Administration.